न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक I/पुनर्विलोकन/शिवपुरी/भू.रा/2018/2245 /2018 जिला–शिवपुरी

मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री सतीश चन्द्र शर्मा
निवासी – ग्राम सतनबाडा खुर्द तहसील व जिला शिवपुरी हाल निवास – सुनार गली शिवपुरी म.प्र.

-- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

-- अनावेदक

5.4.18 को ...द्वारा आज दिनांक ... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19.4.18 नियत। 4-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4402 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम सतनबाडा खुर्द तहसील शिवपुरी में स्थित शासकीय भूमि का आंवटन 19 व्यक्तियों को किया गया था। इसी में एक आवंटन आवेदक मनीष कुमार को पुराना सर्वे नं. 59/1 रकवा 1.881 है0 का नया सर्वे क्रमांक 24 रकवा 1.90 है0 हुआ था। इस संबंध में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 20/89–90/अ–19 पंजीबद्ध कर अपने पारित आदेश दिनांक 26.12.1989 से भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिकार आवेदक को प्रकरण में विधिवत् जांच कर प्रदान किये गये थे।

2. यहकि, विचारण न्यायालय का आदेश एक अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। किन्तु वर्तमान प्रकरण में किसी व्यक्ति अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गयी ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है और अंतिम आदेश के विरूद्ध स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण

05/04/18

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/पुनरावलोकन/शिवपुरी/भू0रा0/2018/2245

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एक/निग0/शिवपुरी/भू0रा0/2017/4402 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :- 1- किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश पारित किया गया था, पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2- मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3- अन्य कोई पर्याप्त कारण इस प्रकरण में उक्त आधारों में से कोई आधार विद्यमान नहीं है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य यह आधार लिया गया है कि इस प्रकरण में 35 वर्ष उपरांत कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश करने के संबंध में जो स्पष्टीकरण आवेदक द्वारा दियागया था उस पर विचार नहीं किया गया है तथा प्रश्नाधीनभूमि पर व्यवस्थापन दिनांक से आवेदक का निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है । मूल प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उक्त	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधार मूल प्रकरण में भी उठाया गया था परंतु तर्कों एवं निगरानी आवेदन में विलंब का कोई समाधान कारक कारण न दिए जाने से आवेदक की निगरानी अग्राह्य की गई थी । जहां तक आवेदक के इस तर्क का प्रश्न है कि व्यवस्थापन दिनांक से विवादित भूमि पर उसका निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है भी सही नहीं है क्योंकि इस संबंध में न्यायहित में तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया था जो उन्होंने दिनांक 20-11-18 को इस न्यायालय को भेजा है । प्रतिवेदन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 1989-90 में बदोवस्त में यह भूमि आवेदक मनीष कुमार पुत्र सतीशचंद्र के नाम दर्ज थी जिसे 1991-92 में कलेक्टर के आदेश पर पूर्ववत शासकीय घोषित किया गया है । प्रतिवेदन में 1.20 हैक्टर भूमि पर अवैध कब्जा होना बताया जाकर संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही प्रचलित होना बताया है । प्रतिवेदन में वर्तमान में भूमि पर आवेदक का आधिपत्य होने का कोई उल्लेख नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा विधिवत विचार करके आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	